



जनपद सोनभद्र पुलिस



प्रेस नोट

दिनांक – 29.05.2026

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के प्रकरण में 02 अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹40,000-40,000/- अर्थदण्ड की सजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में '#OperationConviction' के तहत सोनभद्र पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के प्रकरण में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर मा0 न्यायालय द्वारा कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

थाना – रायपुर, जनपद सोनभद्र

मु0अ0सं0 – 61/2024

धारा – 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट

अभियुक्तगण – तपेश्वर पुत्र स्व0 शंभूनाथ, उर्मिला पत्नी स्व0 शंभूनाथ निवासीगण रायपुर थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा

मा0 विशेष न्यायालय/एससी/एसटी एक्ट, सोनभद्र द्वारा अभियुक्त तपेश्वर पुत्र स्व0 शंभूनाथ एवं उर्मिला पत्नी स्व0 शंभूनाथ निवासीगण रायपुर थाना रायपुर जनपद सोनभद्र को धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास, धारा 498ए भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 3/4 डीपी एक्ट में 02 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। साथ ही अभियुक्तगण को कुल ₹40,000-40,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी तथा सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका

उक्त प्रकरण में थाना रायपुर पुलिस, विवेचक, कोर्ट मोहरीर, अभियोजन पक्ष एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत एवं प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई जा सकी। सोनभद्र पुलिस अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।